संख्या-246/2018/251/22-2-2018-17(454)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टीटू पुत्र श्री बारू, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4854/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02-05-2017) दिनांक-07-02-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 07-02-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी टीटू पुत्र श्री बारू, निवासी-सोहजनी, थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने चुनावी रंजिश में दिनांक 29-05-2001 को सायंकाल 07:00 बजे अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर खेत की गुडाई कर के लौट रहे योगेन्द्र, पवन, अनीस व इरशाद नामक कुल 04 व्यक्तियों की कट्टो से फायर कर निर्दयता से हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-856/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट टैक कोर्ट नं0-4, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 26.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.03.2017 तक 15 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने चुनावी रंजिश में दिनांक 29-05-2001 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर खेत की गुडाई कर के लौट रहे 04 व्यक्तियों की कट्टो से फायर कर निर्दयता से हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित न करने, बन्दी के पूर्णतय: अशक्त न होने इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्यानुसार समाज को प्रभावित करने व अशक्त न होने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी टीटू पुत्र श्री बारू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी टीटू (बन्दी संख्या-9764) पुत्र बारू, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-246/2018/251(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुजफ्फरनगर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-246/2018/251/22-2-2018-17(454)/2017

दिनांक 23 मार्च, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी टीटू (बन्दी संख्या-9764) पुत्र बारू, निवासी-सोहजनी, थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने चुनावी रंजिश में दिनांक 29-05-2001 को सायंकाल 07:00 बजे अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर खेत की गुड़ाई कर के लौट रहे योगेन्द्र, पवन, अनीस व इरशाद नामक कुल 04 व्यक्तियों की कट्टो से फायर कर निर्दयता से हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-856/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट टैक कोर्ट नं0-4, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 26.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.03.2017 तक 15 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने चुनावी रंजिश में दिनांक 29-05-2001 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर खेत की गुड़ाई कर के लौट रहे 04 व्यक्तियों की कट्टो से फायर कर निर्दयता से हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित न करने, बन्दी के पूर्णतय: अशक्त न होने इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्यानुसार समाज को प्रभावित करने व अशक्त न होने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी टीटू पुत्र श्री बारू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in